

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक:- एफ 5/एसीटीएडी/माडा/टोंक/2019-20/ 45387-92

दिनांक:- 13/12/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद
टोंक (राजस्थान)

विषय:- सम्पर्क सी. सी. रोड निर्माण मय नाली निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- आपका पत्रांक जिपटो/माडा/2019-20/527 दिनांक 13.08.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 12441-54 दिनांक 08.03.2019 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से निम्नांकित कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या-7 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	सम्पर्क सी. सी. रोड निर्माण मय नाली निर्माण कार्य पन्ना की ढाणी से सार्वजनिक पेयजल टंकी की ओर ग्राम टोकरावास बूंदी ग्राम पंचायत टोकरावास	टोकरावास / देवली	12441-54 08.03.2019	9.80	11/ 30.05.19	9.80

उपरोक्त कार्य पर राशि रु 9.80 लाख का व्यय माडा क्षेत्र में SCA मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-48/2019-20 दिनांक 08.11.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना हेतु प्राप्त राशि रु 100.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. सार्वजनिक/निर्विवाद भूमि पर ही कार्य कराया जाये। यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृत योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. जिला परिषद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का प्रदर्श बोर्ड (Display Board) लगाया जावे।
9. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
10. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
11. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
12. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
13. कार्यों पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

sd
(शिवांगी स्वर्णकार), I.A.S.
आयुक्त

क्रमांक:- एफ 5/एसीटीएडी/माडा/बजट/टोंक/2019-20/45387-92 दिनांक:- 13/12/19
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, टोंक।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि माडा क्षेत्र में SCA मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-48/2019-20 दिनांक 08.11.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना हेतु प्राप्त राशि रु 100.00 लाख में से 09.80 लाख (अक्षरे नौ लाख अस्सी हजार मात्र) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक को हस्तान्तरित करावे।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली, जिला टोंक।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)